भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1956

31, जुलाई 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

दिल्ली में दुकानों की सील खोलने की कार्रवाई

1956. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पूर्व में सील की गई 13,000 दुकानों को खोलने के लिए कोई योजना बनाई है**;**

(ख) यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी योजना या प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है**;** और

(ग) सरकार द्वारा कई बार इस आशय की घोषणा के बाद भी दुकानों को न खोलने के क्या कारण हैं और इस स्थिति के कारण सरकार को राजस्व की भारी हानि हो रही है और हजारों लोगों की नौकरियाँ छिन रही हैं**?**

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) दुकानों पर सील लगाना/सील हटाना स्थानीय निकायों अर्थात दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में दुकानों की सीलिंग हटाने के संबंध में कोई योजना नहीं बनाई है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 4677/1985 (एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक) में दिनांक 15.12.2017 के अपने आदेश के तहत सील हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत स्थानीय निकायों/एल एंड डीओ/निगरानी समिति की जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्रों के अनुसार अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने पर दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 और एकीकृत भवन उप-नियम (यूबीबीएल)-2016 के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद मालिक/कब्जेधारी से आवेदन प्राप्त होने पर मामले-दर-मामले आधार पर सील हटाने संबंधी स्थायी आदेश जारी किए जाते हैं।

*****